

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15112025-267704
SG-DL-E-15112025-267704असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353]	दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 14, 2025/कार्तिक 23, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 332
No. 353]	DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 14, 2025/KARTIKA 23, 1947	[N. C. T. D. No. 332

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIविकास विभाग
(कृषि विपणन निदेशालय)
अधिसूचना

दिल्ली, 7 नवम्बर, 2025

फा0सं0 4(32)/भर्ती नियम-प्रयोग. तक./डीएएम/स्था0 2022/3981.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या फा0 27/59-एचओएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा कृषि विपणन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती पद्धति एवं आवश्यक शैक्षिक योग्यता के संबंध में नियमों को शामिल करते हुए अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित नियम बनाते हैं—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :—

- (1) इन नियमों को “कृषि विपणन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, प्रयोगशाला तकनीशियन, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह ‘ग’ भर्ती नियमावली, 2025” कहा जाए।
- (2) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर:—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि:**—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता :**—वह व्यक्ति,
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा
- (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- शर्त यह है कि यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की शक्ति:**—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कार्यों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. **बचाव:**—इन नियमों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

कृषि विपणन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में प्रयोगशाला तकनीशियन के पद हेतु भर्ती नियम।

कॉलम सं०		
1.	पदनाम	: प्रयोगशाला तकनीशियन
2.	पदों की संख्या	: 01* (2023) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	: सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	: वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-3 (रुपये 21700-69100/-)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	: लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	: 18-25 वर्ष* के बीच टीप 1: केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय। टीप 2: आयु-सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। *यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरा जाना हो, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से विज्ञान के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	: लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	: दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	: सीधी भर्ती द्वारा

11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव/सचिव (प्रशा0सुधा0) – अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष – सदस्य 3. उप-सचिव (सा0प्र0वि0) – सदस्य टीपः—यदि विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव कुमार मित्तल, विशेष सचिव

DEVELOPMENT DEPARTMENT
(Directorate of Agricultural Marketing)

NOTIFICATION

Delhi, the 7th November, 2025

F. No. 4(32)/RRs-Lab.Tech./DAM/Estt.2022./3981.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 27/59-Hom(I) dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to make rules in the Schedule hereto annexed as Annexure-I containing the rules regarding method of recruitment and educational qualifications necessary for appointment to the posts of Laboratory Technician in Directorate of Agricultural Marketing, Govt. of National Capital Territory of Delhi, Delhi.

1. Short title and commencement:-

- (i) These rules may be called the “Directorate of Agricultural Marketing, Govt. of National Capital Territory of Delhi, Laboratory Technician, Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group ‘C’ Recruitment Rules, 2025.”
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazetted.

2. Number of posts, its classification and pay level in the pay matrix:- The number of said post, its classification and level of pay in the pay matrix of pay attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc:- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in the Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications:- No person:

- (a) Who has entered or contracted a marriage with a person having a spouse living:
Or
- (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided the Government of National Capital Territory of Delhi, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds of doing so exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax:-** Where the Government is of the opinion that if necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Laboratory Technician in the Office of Directorate of Agricultural Marketing, Govt. of NCT of Delhi.

Column No.	
1.(Name of the post)	Laboratory Technician
2.(Number of Post)	01*(2023) *Subject to variation dependent on workload.
3.(Classification)	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial
4.(Pay Level in the Pay Matrix)	Level 3 (Rs.21700-69100) of Pay Matrix
5.(Whether Selection Post or Non-Selection Post)	Not Applicable
6.(Age Limit for direct recruits)	Between 18-25 years* Note 1: The upper age limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority. *In case of post being filled up by all-India Open Competition, the age limit would be between 18 year and 27 years.
7.(Educational and other qualifications required for Direct Recruits)	12 th Pass with Science from a recognized University/ Board.
8.(Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes)	Not Applicable
9.(Period of Probation, if any)	Two Years
10.(Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods)	Direct recruitment
11.(In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grades from which promotion /deputation /absorption to be made)	Not Applicable
12.(If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition)	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion): 1. Principal Secretary/ Secretary(AR) -Chairman 2.Head of Deptt. concerned - Member 3.Dy.Secretary(GAD) -Member

	Note: Senior most member of the Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.
13.(Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
SANJEEV KUMAR MITTAL, Special Secy.